सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 377/2008 वाद

श्यामलाल पिता किशना उर्फ कनीराम चमार मृतक के बजाय–
1– मु. चांदी बाई पत्नी श्यामलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेड़ा।
2– मु. पुष्पा पुत्री श्यामलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेड़ा।
3– मु. प्रेम बाई पुत्री श्यामलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेड़ा।
4– देवीलाल पिता श्यामलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1– वरजी बाई पत्नी उंकारलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, चमारों के मन्दिर के पास, निम्बाहेड़ा।
2– गिरधारी पिता उंकारलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, चमारों के मन्दिर के पास, निम्बाहेड़ा।
3– कमलेश पिता उंकारलाल चमार, निवासी जावद दरवाजा, चमारों के मन्दिर के पास, निम्बाहेड़ा।
4– बगदीया पिता ताराचन्द बलाई, निवासी निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 209 रा0का0अधि0
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी, उपस्थित
श्री आशाराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3, उपस्थित
श्री कैलाश गायरी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4, उपस्थित

निर्णय दिनांक 14.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा निम्बाहेड़ा – ए में आराजी नं. 347 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त आराजी में से 1 बीघा आराजी पश्चिम दिशा की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.11.1966 को कन्नीराम उर्फ किशना पिता मोड़ा चमार निवासी निम्बाहेड़ा को विक्रय कर कब्जा मौके पर सिपूर्द कर दिया। तब से वादी के पिता किशना उर्फ कन्नीराम उक्त आराजी पर निरन्तर, बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस भूमि के पड़ोस पूर्व में इसी आराजी नं. 347 का बाकी रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, पश्चिम में आराजी नं. 355 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा फकीरा पिता मोड़ा जी चमार निवासी निम्बाहेड़ा की जो कनीराम पिता किशना के कब्जे काश्त में है व अब

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे में है, उत्तर में आराजी सरकारी रास्ता जो गादोला जाता है तथा दक्षिण में आराजी कालू धोबी व मोड़ा कुम्हार, निवासी निम्बाहेड़ा की है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सजरा निम्नानुसार है–

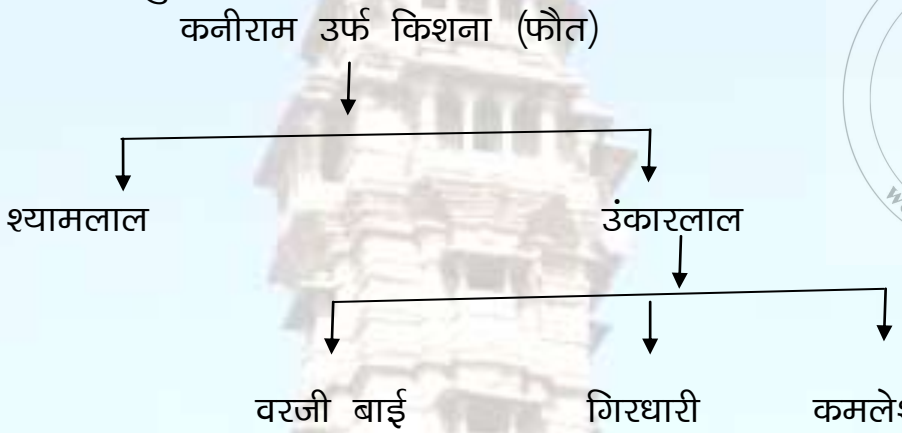

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार कनीराम उर्फ किशना के दो पुत्र श्यामलाल एवं उंकारलाल हुए। उंकारलाल फौत हो चुका है जिसके वारिस उसकी बेवा वरजी बाई, पुत्र गिरधारी व कमलेश हुए। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त क्रयशुदा 1 बीघा आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 4 का कोई कब्जा उक्त विक्रयशुदा भूमि पर किसी भी हैसियत से नहीं है। पूर्व में कनीराम जी के नाम भूमि दर्ज समझ कर वादी व प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे थे। पहली बार दिनांक 20.10.2008 को प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम उक्त खरीदशुदा 1 बीघा भूमि घोषित की जाकर मौके पर कब्जे अनुसार रेकार्ड में दर्ज की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद पत्र के कथनों से इन्कार किया। विवादित भूमि को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की बताया।दिनांक 03.11.1966 को खरीद करना बदनियति से गलत अंकित कराया है। वास्तविकता में पडोस आराजी नं. 355 का गलत अंकन कराया है जबकि सही पडोस आराजी नं. 354 का है जिसका रकबा 16 बिस्वा का है जिसकी खरीद की गई थी और उसी के अनुसार उनका व उनके वारिसान का कब्जा होकर शामलाती तौर पर काबिज काश्त है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन चालाकी से आराजी नं. 354 के बजाय 347 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का करा लिया गया है। गलत तौर पर रजिस्ट्री करा लेने से ही लगातार विवाद कायम होकर इस कारण ही इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका है। प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई कब्जा नहीं है। वादी का दावा खारीज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया तथा नन्दु बाई, गुड्डी बाई व विमला बाई पुत्री उंकारलाल चमार निवासी

निम्बाहेड़ा की ओर से काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात खरीदना स्वीकार है परन्तु पारिवारीक सजरा गलत बनाया गया है। वास्तविक सजरा निम्नानुसार है–

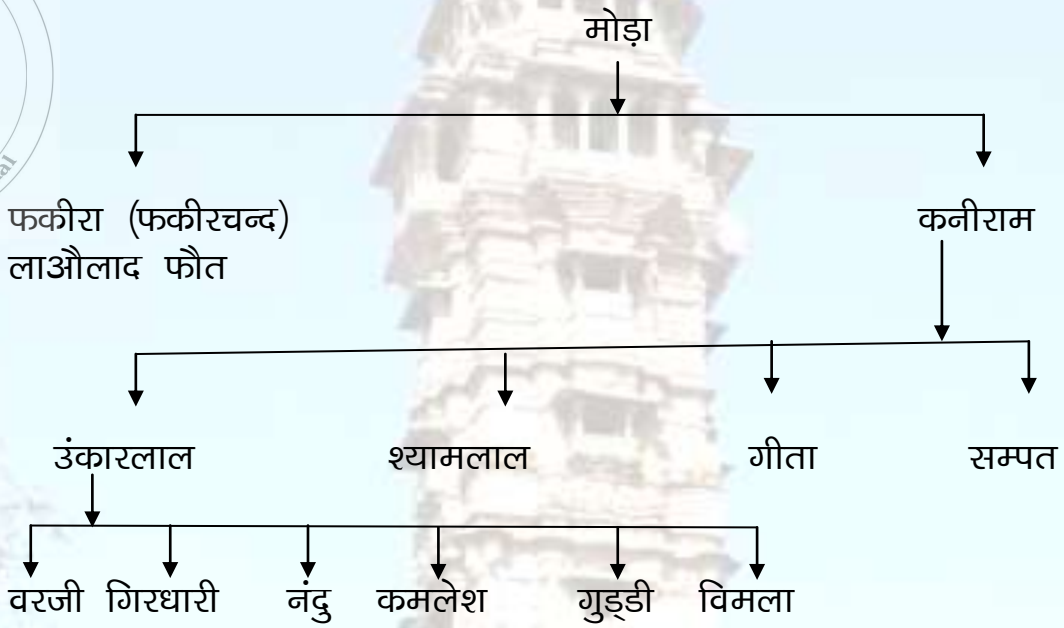

इस प्रकार मोड़ा के स्वर्गवास के बाद मोड़ा की चल अचल सम्पत्ति दोनों भाई फकीरा व कनीराम के हक हिस्से में आई व फकीरचंद की मृत्यु के बाद एकमात्र वारिस कनीराम हुए। कनीराम के स्वर्गवास के बाद कनीराम व फकीरा की पूरी सम्पत्ति उंकारलाल, श्यामलाल, गीता व सम्पत के हक हिस्से में आई। गीता व सम्पत की शादी करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा दोनों ही बहनें अपने अपने ससुराल में रहती चली आ रही है। इस प्रकार कनीराम की सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा उंकारलाल व 1/2 हिस्सा श्यामलाल का हो गया। उंकारलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वरजी बेवा, गिरधारी व कमलेश पुत्र व नन्दु, गुड्डी व विमला पुत्रियां वारिस हुई। इस प्रकार उंकारलाल की विरासत में तीनों पुत्रियों का नाम भी जोड़ा जाना आवश्यक है। काउण्टर क्लेम में उंकारलाल की तीनों पुत्रियों ने अंकित किया की उंकारलाल की विधिक वारिसान होकर आवश्यक पक्षकार हैं परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया। मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 355 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी नं. 360 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि जो चाह नं. 336 से हक हिस्से अनुसार पीवल होती है, पुश्तैनी आराजीयात होकर फकीरा के समय से चली आ रही है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व गुड्डी बाई, विमला व नन्दु बाई का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा है। इसी अनुसार काबिज काश्त चली आ रही है। उंकारलाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके विधिक वारिसान के नाम की घोषणा की जावे तथा हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवारा किया जावे। लगान की फाटनी की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र व काउण्टर क्लेम के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1– आया वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित पड़ोसों के बीच स्थित आराजी नं. 347 रकबा 1 बीघ की खातदोरी की घोषणा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाकर बंटवारा कराने के अधिकारी हैं।

– जिम्मे वादी

2– आया प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित आराजीयात में अपना नाम दर्ज करवाकर बंटवारा कराने के अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

3– अनुतोष।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। मौखिक साक्ष्य में देवीलाल पिता श्यामलाल चमार पीडब्ल्यु–1 तथा प्रतिवादीगण की ओर से वरजी बाई बेवा उंकारलाल चमार डीडब्ल्यु–1, जगदीश पिता पन्नालाल कुमावत डीडब्ल्यु–2, रतनलाल पिता बद्रीलाल गायरी डीडब्ल्यु–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 509 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्री दिनांक 03.11.1966 की प्रदर्श– 2, किशना पिता मोड़ा मेघवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.11.2008 की छायाप्रति प्रदर्श–3, श्यामलाल पिता काना मेघवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.2011 की छायाप्रति प्रदर्श–4 प्रस्तुत की है। साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1– तनकी नं. 1:– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 प्रस्तुत किये हैं। प्रदर्श–1 जो ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 509 की प्रमाणित प्रति होकर राजस्व रेकार्ड है। इसमें आराजी नं. 347 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ विपक्षी संख्या 4 बगदीया पिता ताराचन्द बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–2 उप पंजीयक निम्बाहेड़ा के कार्यालय में पंजीकृत हुई रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति है जिसमें बगदीया उर्फ बगदू पिता ताराचन्द बलाई निवासी निम्बाहेड़ा ने आराजी नं. 347 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की कन्नीराम उर्फ किशना पिता मोड़ा चमार निवासी निम्बाहेड़ा को विक्रय करने का अंकन है। साथ ही रजिस्ट्री में विक्रयशुदा भूमि के पडोस भी अंकित किये गये हैं जिसमें पूर्व में आराजी नं. 347 का शेष हिस्सा, पश्चिम में आराजी नं. 355 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जो फकीरा पिता मोड़ा चमार के कब्जे काश्त की, उतर में गादोला जाने वाला सरकारी रास्ता व दक्षिण में कालू धोबी व मोडा कुम्हार की आराजी अंकित है। इस प्रकार प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नं. 347 प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि रजिस्ट्री के माध्यम

से प्रतिवादी संख्या 4 ने कनीराम को उक्त भूमि के 1 बीघा रकबे का विक्रय किया है। रजिस्ट्री में विक्रयशुदा रकबे के पडोसों का भी स्पष्ट अंकन है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में अंकित कथन गलत साबित होते हैं। वादी के कथनों की ताईद मौखिक साक्ष्य से भी होती है जो पडोसी खातेदारों द्वारा भी दी गई है। मौखिक साक्ष्य में वादी व उसके परिजनों का कब्जा काश्त प्रश्नगत भूमि पर प्रकट होता है। इस प्रकार वादी अपने जिम्मे की तनकी साबित करने में सफल रहा है। इसलिए तनकी नं. 1 का निर्णय बहक वादी तय किया जाता है।

2– तनकी नं. 2:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। डीडब्ल्यु–1 व डीडब्ल्यु–2 ने मौखिक साक्ष्य में कनीराम द्वारा खरीदशुदा 1 बीघा भूमि पर श्यामलाल व उंकारलाल का बराबर 1/2, 1/2 हक हिस्सा होना स्वीकार करते हुए इसी अनुसार काबिज काश्त होना बताया है। उंकारलाल की पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम साबित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार कनीराम के दोनों पुत्रों का विवादित भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा होना साबित है परन्तु आराजी नं. 355 के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं इसलिए तनकी नं0 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

इस प्रकार तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 बगदीया द्वारा कनीराम को 1 बीघा भूमि का विक्रय किया गया था। कनीराम के 2 पुत्र श्यामलाल व उंकार लाल हुए जिनका विवादित भूमि में 1/2, 1/2 हिस्से पर कब्जा भी साबित है। इसी अनुसार हिस्सा घोषित करते हुए वादी का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। विवादित भूमि मौजा निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी नं. 347 का पश्चिम दिशा का आराजी नं. 355 से लगा हुआ 1 बीघा हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम का घोषित किया जाता है। उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा मृतक श्यामलाल के सभी वारिसान के नाम दर्ज किया जावे तथा 1/2 हिस्सा मृतक उंकारलाल के सभी वारिसान के नाम दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.11.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा